भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2293
15 मार्च, 2022 को उत्तरार्थ

कृषि निर्यात

2293. श्रीमती राजश्री मल्लिक:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृषि निर्यात का उदेश्य वर्ष 2023 तक कृषि उत्पादों के निर्यात के माध्यम से किसानों की आय को दोगुना करना है;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) क्या सरकार ने इसमें राज्य सरकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क): भारत सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बहुत से कदम उठाएं हैं जिसमें कृषि निर्यात की वृद्धि करना भी केंद्रित कार्यकलापों में से एक है। कृषि निर्यात से किसानों को व्यापक अंतरराष्ट्रीय बाजार का लाभ उठाने में मदद मिलती है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। किसानों की आय दोगुनी करने संबंधी समिति (डीएफआई) कृषि को एक मूल्य आधारित उद्यम के रूप में मान्यता देती है और विकास के कई प्रमुख स्रोतों की पहचान की है जो **(I)** फसल उत्पादकता में वृद्धि; **(II)** पशुधन उत्पादकता में वृद्धि; **(III)** संसाधन उपयोग दक्षता या उत्पादन की लागत में बचत; **(IV)** फसल गहनता में वृद्धि; **(V)** उच्च मूल्य वाली फसलों की ओर विविधीकरण; **(VI)** किसानों को प्राप्त वास्तविक कीमतों में सुधार; और (**VII)** कृषि से गैर-कृषि व्यवसायों की ओर मोड़ना हैं।

(ख): सरकार ने ऐसे कई विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, सुधारों और नीतियों को अपनाया है जो किसानों के लिए उच्च आय पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन सभी नीतियों और कार्यक्रमों के तहत 10,000 एफपीओ के संवर्धन, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन शहद मिशन (एनबीएचएम), किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने के द्वारा ब्याज छूट योजना, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि मंडी (ई-नाम) इत्यादि को सुदृढ़ करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कोष और कृषि विपणन योजना जैसे कार्पस फंड तैयार करके उच्च बजटीय आवंटन, बजट भिन्न वित्तीय संसाधनों के द्वारा सहायता की जा रही है। साथ ही फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष स्थापित किया गया है।

(ग) और (घ): कृषि राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारें राज्य में कृषि के विकास के लिए समुचित उपाय करती हैं। तथापि, भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। इसके अलावा, राज्य निर्यात नीति के अंतर्गत कृषि निर्यात नीति को शामिल करने के लिए राज्य सरकारों की अधिक भागीदारी के प्रयास किए जा रहे हैं , कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य नोडल एजेंसी की पहचान करना; कृषि निर्यात उन्मुख उत्पादन में, कृषि निर्यात की सुविधा के लिए अवसंरचना और लॉजिस्टिक में और उपज, प्रसंस्करण एवं अनुसंधान और विकास में निजी निवेश को आमंत्रित करने में निर्यात को सहायता करने क लिए समितियों का गठन करके राज्य और क्लस्टर स्तर पर संस्थागत तंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गयी हैं। निर्यात के आंकड़ों (रुपये में) के अनुसार, 2007-08 से 2013-14 तक पिछले 7 वर्षों की तुलना में 2014-15 से 2020-21 की अवधि के दौरान कृषि और संबद्ध निर्यात में 72.6% की वृद्धि हुई है।

*****